

फ़्रांस में सहायता प्राप्त मृत्यु को वैध बनाने पर वचार

स्रोत: डाउन टू अर्थ

फ़्रांस हाल ही में **गर्भपात को संवैधानिक अधिकार** के रूप में जोड़ने के बाद अब सहायता प्राप्त मृत्यु के एक रूप जसि "मृत्यु में सहायक" कहा जाता है, को वैध बनाने पर वचार कर रहा है।

- प्रस्तावति वधियक में सखत शर्तें होंगी, जसिसे अल्प या मध्यम अवधि में मौत का कारण बनने वाली असाध्य बीमारियों से पीड़ति व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जा सकेगी।
- देश पहले से ही **नषिक्रयि इच्छामृत्यु** की अनुमति देता है।

सहायता प्राप्त मृत्यु (Assisted Dying) और नषिक्रयि इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) क्या है?

- **सहायता प्राप्त मृत्यु:** इसमें वे लोग शामिल होते हैं जो असाध्य रूप से बीमार होते हैं और घातक दवाएँ प्राप्त करने के लयि चकितिसा सहायता की मांग करते हैं, जसि वे बाद में अपना जीवन समाप्त करने के लयि स्वयं लेते हैं।
 - यह आमतौर पर तब होता है जब मरीज़ कसिी लाइलाज बीमारी के कारण असहनीय पीड़ा का सामना कर रहे होते हैं तथा अपनी मृत्यु के समय और तरीके पर नयितरण चाहते हैं।
 - सहायता प्राप्त मृत्यु का प्राथमकि अंतर यह है कवियक्ति चकितिसा पेशवरों की सहायता से अपने जीवन को समाप्त करने की प्रकरयिा में सक्रयि रूप से भाग लेते हैं।
- **नषिक्रयि इच्छामृत्यु:** नषिक्रयि इच्छामृत्यु तब होती है जब जीवन-नरिवाह उपचार रोक दयि जाते है अथवा हटा लयि जाते है, जसिसे रोगी स्वाभावकि रूप से मर जाता है।
 - इसमें **वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब अथवा जीवन को बनाए रखने वाली दवाओं** जैसे- चकितिसा उपचारों को रोकने के नरिणय शामिल हो सकते हैं।
 - नषिक्रयि इच्छामृत्यु को प्रायः सक्रयि इच्छामृत्यु से अलग माना जाता है क्योकि इसमें रोगी की मृत्यु सीधे तौर पर शामिल नहीं होती है, बल्कि यह प्राकृतकि तरीकों से मृत्यु की अनुमति देता है।
 - सक्रयि इच्छामृत्यु में कसिी व्यक्तिके जीवन को समाप्त करने के लयि जानबूझकर घातक पदार्थों या कार्यों का उपयोग करना शामिल है।
- **कानूनी सहायता से मृत्यु अथवा इच्छामृत्यु वाले देश:**
 - **नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, बेल्जियम, स्पेन** ऐसे कसिी भी व्यक्तिके लयि इच्छामृत्यु एवं सहायता प्राप्त आत्महत्या दोनों की अनुमति देता है जो "असहनीय पीड़ा" का सामना करते है जसिमें सुधार की कोई संभावना नहीं है।
 - **स्वटिज़रलैंड इच्छामृत्यु पर प्रतबिंध** लगाता है लेकिन **डॉक्टर अथवा चकितिसक की उपस्थति में सहायता से मृत्यु की अनुमति देता है।**
 - संयुक्त राज्य **अमेरिका में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानून** है। **वाशगिटन, ओरेगॉन एवं मॉंटाना** जैसे कुछ राज्यों में इच्छामृत्यु की अनुमति है।
 - **भारत नषिक्रयि इच्छामृत्यु की अनुमति देता है।**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने **अरुणा रामचन्द्र शानबाग बनाम यूनयिन ऑफ इंडिया केस के 2011** के मामले में नषिक्रयि इच्छामृत्यु को स्वीकार कयिा, जसिसे उन रोगियों से **जीवन-नरिवाह देखभाल वापस लेने की अनुमति** प्राप्त हुई जो स्वयं नरिणय लेने में असमर्थ थे। इस मामले में अरुणा शानबाग नषिक्रयि अवस्था में थी।
 - **कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ, 2018** मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'लविगि वलि' के महत्त्व को उजागर करते हुए **नषिक्रयि इच्छामृत्यु/सहजमृत्यु (Euthanasia) को वैध बनाया।**
 - यह नरिणय मानसकि रूप से सक्रम वयस्कों को नैसर्गकि मृत्यु के चयन की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए वशिषिट परस्थितियों में चकितिसा उपचार की मनाही अथवा इसे प्राप्त न करने के वकिल्प का प्रावधान करता है।
 - न्यायालय ने इस तथ्य पर जोर दयिा कि **मरण की प्रकरयिा में गरमिा संवधान के अनुच्छेद 21** द्वारा गारंटीकृत **जीवन के अधिकार** का अभनिन अंग है।
 - वर्ष 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने संबद्ध प्रकरयिा में सरलता और तीव्रता हेतु नषिक्रयि इच्छामृत्यु से संबंधति नियमों में संशोधन कयिा।

- सर्वोच्च न्यायालय ने लविगि वलि हेतु नोटरी अथवा राजपत्ररति अधिकारी द्वारा इसके सत्यापन को पर्याप्त बताते हुए लविगि वलि को मान्य करने के संबंध में न्यायिक मजस्ट्रेट की आवश्यकता को समाप्त किया ।

UPSC सवलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नजिता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षति कया जाता है । भारत के संवधान में नमिनलखिति में से कसिसे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थति होता है? (2018)

- (a) अनुच्छेद 14 और संवधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध ।
- (b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दयि गए राज्य की नीति के नदिशक तत्त्व ।
- (c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ ।
- (d) अनुच्छेद 24 एवं संवधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध ।

उत्तर: (c)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/france-considers-legalising-assisted-dying>

